झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध)–04 / 2022 - 459

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 06.07.2023

विषयः– घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल वाहनों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर रोक लगाने से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि श्री नितिन मा0 सोलंके, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउन्डेशन का आवेदन पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठनों एवं वाहनों में अवैध रूप से किये जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी कि कुछ गैस एजेंसियों द्वारा डमी ग्राहकों के नाम पर तेल कम्पनियों से ज्यादा सिलेंडर खरीद कर कालाबाजारी किये जाने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा सिलेंडर तौलकर नहीं दिये जाने, घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल होने से सरकार को GST की हानि एवं उज्जवला योजना के गैस सिलेंडर का दुरूपयोग से संबंधित आरोप भी लगाये गये हैं।

अतः प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/7/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

Council for Protection of Rights

GRAHAK BHARATI

Office : 11, Trisharan Soceity, Oppo. Somalwar School, Khamla, NAGPUR 440025

Registration No. MAH/199/1987 :Trust - F 6232

7887863377

grahakbharati1@gmail.com

27/6/23

दि.17/06/2023

जा.क्र 1674/LPG/2023.06

श्री विनोद 27/06/23

776 27.6-23

प्रति,

1.मा.श्री.जिलाधिकारी साहाब,जिलाधिकारी कार्यालय,राँची,झारखण्ड

2.मा.श्री.जिला आपूर्ती अधिकारी साहाब,खादय नागरीक आपुर्ती और उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय ,राँची,झारखण्ड

3.मा.श्री.पुलिस अधिक्षक साहाब,पुलिस अधिक्षक कार्यालय ,राँची,झारखण्ड 4.मा.श्री. उपनियंत्रक/ साय्यक नियंत्रक अधिकारी साहाब,विधिक मापविज्ञान नियंत्रक कार्यालय ,राँची,झारखण्ड

5.मा.श्री.उपप्रादेशीक परीवहन अधिकारी साहाब, उपप्रादेशीक परीवहन कार्यालय ,राँची,झारखण्ड

विषयः– घरेलू सिलेंडरो का इस्तेमाल अनियंत्रित वाहनो और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर रोक लगाने हेतू.

मा.महोदय सेवा में,

व्यावसायिक सिलेंडरो के अनाप – शनाप दाम बढ्ने के कारण व्यायसायिक प्रतिशठानों ने 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर का उपयोग शुरू कर दिया है। कई जगह पर तो सीधे 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडरों की गॅस पलटी की जा रही है। इतना ही नही तों वाहनों में भी अब घरेलू सिलेंडरों की भी उपयोग हो रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। सिलेंडरों के अवैध उपयोग से किसी दिन बडा धमाका होने की संभावना से इनकार नही किया जा सकता। इसका सबसे बडा कारण यह है कि बाजार में थोडे से अधिक पैसे देने पर घरेलू सिलेंडर आसानी से ब्लैक में मिल जात है। कुछ गॅस एजन्सीयां तो डमी ग्राहकों के नाम पर तेल कंपनियों से ज्यादा सिलेंडर खरीदकर कालाबाजारी कर रहे हैं। थोडे से अधिक पैसे देकर सिलेंडरो को अपने पास जमा कर उसे अधिक पैसे में बाजार में बचनें के लिए एकत्र किया जाता है, इसके उपर भी किसी नियंत्रको का ध्यान नही जा रहा है। फलस्वरूप एव ओर सिलेंडरों के दाम तेजी से इजाफा हो रही है और जिससे गैस के दाम मे बढ्ने व कारण सामान्य और गरीब लोग संभल कर गॅस सिलेंडर का उपयोग कर रहे है फिलहाल एक परिवार दो से तीन माह तक एक सिलेंडर का उपयोग कर रहे है। तेल कंपनियों ने मार्केटिंग का नया पैंतरा अपनाकर ग्राहको के नाम पर ऑटो बुकींग करा डिलरो के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाना शुरू कर दिया है। सिलेंडर बुक न कर

P.T.O

199/1987 Trust

के कारण ग्राहक वह सिलेंडर नहीं लेते, और ऐसे ही सिलेंडरों को ब्लैक में बेचा जाता है। इस तरीके से गॅस एजेन्सियाँ सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। थोडे से पैसे के लिए एलपीजी गॅस वाहनों में भर कर कुछ लोग अपनी और दुसरों की जान को धोखे में डाल रहे हैं। एक टिल्लू पंप और सामान्य पाइप की मद्द से एलपीजी गॅस वाहनों में डाली जाती है। सबसे गंभीर बात यह है की, कितनी गॅस भरी गई है यह देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काटे का इस्तेमाल भी किया जाता है। व्यावसायिक सिलेण्डरों की तुलना में घरेलू सिलण्डरो के दाम कम होते है। लेकिन भविष्य में वाहनों में घरेलू सिलेंडर की एलपीजी भरना महंगा हो सकता है। घरेलू सिलेंडर घर पर खाना बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। फीर भी घरेलू सिलेंडरो का इस्तेमाल अनियंत्रित वाहनो और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उपयोग हो रहा है।

सिलेंडर को तोल कर नही दीया जाताः-

कई गैस एजन्सीया ग्राहक को LPGसे भरे सिलेंडर का वजन और खली सिलेंडर का वजन भी तोलकर नही देते। ग्राहको ने वजन कर के लिया भी तो उनको गैस कम मिल रहा है। ऐसे में ग्राहक अगर शिकायत करे तो उन्हे डराया जाता। इस वजह से ग्राहाक भी शिकायत नही करता। जिस का फायदा गैस डीलेवरी करने वाले हॉकर और गैस वितरक करके कालाबाजारी कर रहे है। इस मुदों पर विधिक मापविज्ञान नियंत्रक ने ध्यान देकर उचित कार्यवाही करनी चाहीए।

सरकार को करोडों रूपयों का चुनाः-

ग्राहकों के हक का सिलेंडर व्यावसायियों और असामाजिक तत्वों के पास जा रहा है। ग्राहकों कें अधिकार वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगती है, जब कि व्यावसायिक सिलेंडर पर 18 प्रतिशत । घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग के लिए लेने पर सीधे 13 प्रतिशत जीएसटी की चोरी होती है। इस प्रकार से जीएसटी की चोरी करके सरकार को करोडों रूपयें का चुना लगाया जा रहा है। जिसे तुरंत रोकने की जरूरत है।

उज्ज्वला योजना कें सिलेंडरो का दुरूपयोग :-

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी योजना है और इसका स्वागत होना चाहिए। ग्रामीण और गरीब जनता को शुरूवात में इसका कुछ फायदा भी हुआ। लेकिन अब सिलेंडर के दाम 960 रूपये के करीब पहुंचने से लाभार्थी एक सिलेंडर को तीन महिने तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में एजन्सीयॉ खुद ही बुकींग करके कालाबाजारी करती हैं। अब यह योजना गरीबों की है या कालाबाजारी करने वालों की, यह सवाल खडा हो गया है। सरकार से निवेदन है कि उज्ज्वला योजना के लिए पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ होना चाहिए। इण्डोनेषिया में गरीबों को 2,3,5 या 10 किलो का सिलेंडर दिया जाता है। हम उज्ज्वला योजना के माध्यम से भिन्न रंगो के वॉल समेत 2,3,5 या 10 किलो कें सिलेंडर लाभार्थियों को देते है तो वह उनके लिए किफायती होगा और कालाबाजारी भी कम होगी।

Council For Protection Of Rights
GRAHAK BHARATI
Reg.No. MAH/199/1987 Trust F 6232

P.T.I

(2)

प्रशासन ने समय पर जागरुक रहेकर कार्यवायी करणी चाहीए :-

ऐसी घट्नाओं सें नागरिकों में भय का वातावरण है। अवैध रूप से गॅस रिफिलिंग होने के पुर्व ही प्रशासन ने समय पर जागरुक रहेकर कार्यवायी करणी चाहीए । अवैध एलपीजी का उपयोग करने वालों को अब रोकना ही होगा। साथ ही राज्य के विविध क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर धमाकों की उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों को कडी से कडी सजा होनी चाहिए। साथ ही राज्य के सभी IOCL,BPCL,HPCL कंपनियों की एजेंसियों का थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाना चाहिए। IOCL, BPCL, HPCL कंपनियों के ग्राहकों का हर साल केवायसी की प्रकिया किया जाना चाहिए । जिन ग्राहकों ने केवायसी किया है, उनके पंजिकृत मोबाईल नंबर पर बुकींग करने के बाद ओटीपी आने चाहिए। सिलेंडर डिलिवरी करते वक्त ओटीपी डालने पर ही बिल जनरेट हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। डिलिवरी ऑथेंटिकेषन कोड (डीएसी) लागू करके इसका सख्ती से पालन होना जरूरी है। या फीर जिस तरह से आपूर्ती विभाग व्दारा बायोमैटीक प्रणाली से अनाज का वितरण हो रहा है,ठिक उसी तरह घरेलू सिलेंडर का वितरण करणे की प्रणली तयार की जाये। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया गया तो निर्दोश लोगों की बली नही चढेगी।

कठोर सजा का प्रावधान हो :-

घरेलू सिलेंडर का दुरूपयोग करने पर जीवनावष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के अनुसार मामला दर्ज करके 6 माह की जेल या 20 हजार रूपयें जुर्माने का प्रावधान है। अवैध रूप से सिलेंडर का उपयोग रोकने के लिए पुलिस अधिकारी,आपूर्ती अधिकारी ,सरकारी तेल कपंनी के बिक्री अधिकारीयों के पास अधिकार है। इसके बावजुद घरेलू सिलेंडरो के दुरूपयोग के मामले को रोकने में सफलता नही मिल रही है, बल्कि इसके विपरीत ये मामले बढ ही रहे है। सरकारी राजस्व की, जन सामान्य की संपत्ती का नुकसान हो रहा है। इसका ध्यान रखना चाहिए। अतः हमारी मॉंग है कि अवैध सिलेंडरो के उपयोग पर 5 वर्ष की जेल और 1 लाख रूपये जुर्माने का कठोर प्रावधान हो। जिससे घरेलू सिलेंडरों का दुरूपयोग करने वालों मे डर पैदा हो। **हम आप से यहीं बिनंती करते है की वाहनों में अवैध रूप से घरेलू गॅस सिलेंडर का उपयोग करने वाले तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों घरेलू गॅस सिलेंडर का उपयोग करने वाले असामाजीक तत्वो के लोगो पर तत्काल कार्यवाही करके सरकार को करोडो के नुकसान और धमाका होने की संभावना से बचाए।**

प्रतिलिपीः- मा.श्री प्रमुख सचिव,खादय नागरीक आपुर्ती और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय,राँची,झारखण्ड

आपका अपना

राष्ट्रीय अध्यक्ष

नितीन मा. सोळंके

ग्राहक दक्षता कल्यान फाउंडेशन

Council For Protection Of Rights • GRAHAK BHARATI • Reg.No. MAH/199/1987 Trust F 6232

संलग्न : मा. श्री. अपर सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग मंत्रालय, राँची झारखंड को कार्यवाही हेतु पत्र की प्रति.

P.T.O

256

पत्रांकः– खा०प्र०–01 / ज०वि०प्र० / कि०ते० / कालाबाजारी / 08–09 / 2022

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

सतीश चन्द्र चौधरी, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राज्य स्तरीय समन्वयक IOCL,
ऑयल उद्योग, झारखण्ड।

राँची / दिनांक–

विषयः– घरेलू सिलेण्डरों का इस्तेमाल वाहनों एवं व्यवसायिक स्थानों में रोकने के संबंध में।

प्रसंगः– ग्राहक भारती, नागपुर का अभ्यावेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स – ग्राहक भारती द्वारा अपने अलग–अलग 24 अभ्यावेदनों द्वारा सभी 24 जिलों में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेण्डरों का इस्तेमाल वाहनों एवं व्यवसायिक स्थानों में किये जाने की सूचना देते हुए इसके दुरूपयोग को रोकने की मांग की है। पत्र आपको भी ग्राहक भारती संस्था द्वारा पूर्व से प्रेषित है। अभ्यावेदन में उनके द्वारा इस संबंध में उठाये गये कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. 19 किलोग्राम वाले व्यवसायिक सिलेण्डरों में 14.2 किलोग्राम वाले LPG गैस का भरा जाना जिससे सरकार को राजस्व क्षति के साथ–साथ विस्फोट एवं आग लगने का खतरा।
2. घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी।
3. वाहनों में घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध इस्तेमाल।
4. घरेलू गैस सिलेण्डरों का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों के पास होना।
5. सरकारी राजस्व का नुकसान।
6. प्रधानमंत्री उज्वला योजना के सिलेण्डर की कालाबाजारी एवं दूरूपयोग।
7. सिलेण्डर ब्लास्ट की घटनाओं में वृद्धि।

उनके द्वारा गैस की अवैध रिफिलिंग एवं गैस की कालाबाजारी को रोकने, LPG सिलेण्डर में बारकोड टैग लगवाने तथा जनजागृति फैलाने की मांग की है। सुलभ प्रसंग हेतु अभ्यावेदन की एक प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उनके अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक– यथोक्त

ह० / –
(सतीश चन्द्र चौधरी)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–01 / ज०वि०प्र० / कि०ते० / कालाबाजारी / 08–09 / 2022–3733 राँची / दिनांक 12/12/22

प्रतिलिपिः–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड / श्री शुभम रंगारी, उपाध्यक्ष, ग्राहक भारती, 11, त्रिशरण सोसाईटी, सोमलवार स्कूल के पीछे, खमला, नागपुर–440025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/22
सरकार के अपर सचिव।